न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या :– 195 / 2017 (नया)
121 / 2010 (पुराना)

उनवान

मृतक रसीद वगै0 बनाम मृतक तुलसीराम वगै0

1. मृतक रसीद पुत्र गीगा खां जाति भाड़गा (मुसलमान) निवासी वार्ड नं. 18 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं। (दौराने दावा मृत्यु)

1/1. शाहिदा बानो स्त्री स्व. रसीद खां जाति भाड़गा (मुसलमान) निवासी वार्ड नं. 18 झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

1/2. जुलफेन पुत्री स्व. रसीद खां जाति भाड़गा (मुसलमान) निवासी वार्ड नं. 18 झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

1/3. रहिसा पुत्री स्व. रसीद खां जाति भाड़गा (मुसलमान) निवासी वार्ड नं. 18 झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

1/4. अलताफ स्व. रसीद खां जाति भाड़गा (मुसलमान) निवासी वार्ड नं. 18 झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

1/5. जाकिर पुत्र स्व. रसीद खां जाति भाड़गा (मुसलमान) निवासी वार्ड नं. 18 झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

–वादीगण

बनाम

1. मृतक तुलसीराम पुत्र स्नेहीराम जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 17 मोहल्ला खटीकान झुन्झुनूं।

1/1. शांति देवी स्त्री स्व. तुलसीराम जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 17 मोहल्ला खटीकान झुन्झुनूं।

1/2. रामजीलाल पुत्र स्व. तुलसीराम जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 17 मोहल्ला खटीकान झुन्झुनूं।

1/3. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. तुलसीराम जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 17 मोहल्ला खटीकान झुन्झुनूं।

1/4. हरीराम पुत्र स्व. तुलसीराम जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 17 मोहल्ला खटीकान झुन्झुनूं।

1/5. राधेश्याम पुत्र स्व. तुलसीराम जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 17 मोहल्ला खटीकान झुन्झुनूं।

1/6. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. तुलसीराम जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 17 मोहल्ला खटीकान झुन्झुनूं।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनूं (राज.)

7. रामकिशोर पुत्र स्व. तुलसीराम जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 17 मोहल्ला खटीकान झुन्झुनूं।

8. काशीराम पुत्र स्व. तुलसीराम जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 17 मोहल्ला खटीकान झुन्झुनूं।

2. दुर्गादेवी स्त्री स्व. बनवारीलाल जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 17 मोहल्ला खटीकान झुन्झुनूं।

3. रमेशचन्द्र पुत्र स्व. बनवारीलाल जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 17 मोहल्ला खटीकान झुन्झुनूं।

4. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. बनवारीलाल जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 17 मोहल्ला खटीकान झुन्झुनूं।

5. राजकुमार पुत्र स्व. बनवारीलाल जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 17 मोहल्ला खटीकान झुन्झुनूं।

6. खातुन पुत्री स्व. गीगा स्त्री मुमताज जाति भाड़गा निवासी केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

7. नगर परिषद झुन्झुनूं जरिये आयुक्त।

8. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुन्झुनूं।

—<u>प्रतिवादीगण</u>

<u>उपस्थित अधिवक्ता :—</u>

1. श्री कायम सिंह – वादीगण की ओर से
2. श्री विजयपाल – प्रतिवादीगण की ओर से
3. श्री श्रवण कुमार सैनी – राज्य सरकार की ओर से

<u>दावा बाबत घोषणा, बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

दिनांक : 24.06.2022

वाद वादीगण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा दिनांक 06.09.2010 को एक वाद पत्र इस आशय का विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा, बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया कि जमीन हाल ख.नं. 3430 रकबा 1.63 हैक्टर, ख.नं. 3431 रकबा 1.40 हैक्टर वाके ग्राम कस्बा झुन्झुनू का टीनेन्ट (आसामी) वादी है व इस घोषणा के अनुसार वादी के हक में बतौर टीनेन्ट वादी का नाम दर्ज करने का आदेश दिया जावे' प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 को जमीन ख.नं. 3430 रकबा 1.63 हैक्टर, ख.नं. 3431 रकबा 1.40 हैक्टर वाके कस्बा झुन्झुनूं से बेदखल कर वादी को कब्जा दिलवाया जावे व प्रतिवादीगण नं. 1 से 5 से इस जमीन के वार्षिक लगान का 50 गुणा अर्थदण्ड वादी को दिलवाया जावे व प्रतिवादीगण नं. 1 से 5 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि जमीन ख.नं. 3430 रकबा 1.63 हैक्टर, ख.नं. 3431 रकबा 1.40 हैक्टर वाके कस्बा झुन्झुनूं के भाग को न बेचे, न दान करें, न रहन रखें, न हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करे , न निर्माण करे , न पेड़ काटे, न

अकृषि में बदले व न खड्डे खोदकर बर्बाद करें। खर्चा दावा लिखवाया जाकर प्रतिवादीगण 1 से 5 के अनुचित उपयोग व उपभोग कृषि भूमि के करने से वादी को क्षतिपूर्ति रकम दिलवाई जावे।

उक्तानुसार वाद पेश होने पर दावा बाद सुनवाई न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2016 को बहक हक वादी डिक्री पारित की गई। जिसकी अपील अपीलांट के द्वारा माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनू के यहां पेश की गई। माननीय न्यायालय में निर्णय 29.09.2016 के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2016 को खारिज किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की गई है कि वह प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिक प्रकिया अपनाते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत लेकर अपना विधि सम्वत निर्णय पुनः पारित करें तथा पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 21.10.2016 को उपस्थित होवें। माननीय न्यायालय भू– प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर, कैम्प कोर्ट झुन्झुनू के निर्णय के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर में की जाने के पश्चात पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर के यहां विचाराधीन थी। दिनांक 22.07.2017 को पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर के यहां से निर्णय की प्रति के साथ प्राप्त हुई। माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 13.11.2017 के द्वारा अपील खारिज करते हुए माननीय न्यायालय भू– प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर, कैम्प कोर्ट झुन्झुनू पारित निर्णय दिनांक 29.09.2016 की पुष्टि की जाकर निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्ष की पैरवी हेतु पैरवी नोटिस जारी किये गये। उभयपक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर 20.06.2018 को तनकीयात कायम की गई। दिनांक 23.02.2021 को एक अतिरिक्त तनकी 6ए जोड़ी गई। दिनांक 17.06.2022 को तनकी संख्या 2 को उभय पक्षकारान वकीलों की सहमति के आधार पर संशोधित किया गया। उभय पक्षकारान को साक्ष्य, जिरह एवं बहस अवसर देने के पश्चात पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 24.06.2022 में नियत की गई। प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वाद जमीन हाल खसरा नम्बर 3430 रकबा 1.63 है0, खसरा नम्बर 3431 रकबा 1.40 है0 वाके कस्बा झुन्झुनू में वादी खातेदार काश्तकार करवाने का अधिकारी है।
   — भार वादी

2. आया वाद भूमि से प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलवाया जाये।
   — भार वादी

3. आया वाद मे वादी के कब्जा काश्त में कोई बाधा कारित न करने बाबत प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करवाने का हक रखता है।
   — भार वादी

4. आया वाद में वादी का कब्जा काश्त नहीं होकर वादी के पूर्वज गीगा खां द्वारा पहले ही विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज स्नेहीराम के हक में स्थानान्तरित कर दी गई थी।
   — भार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5

5. आया वाद विवादित भूमि बाबत नामान्तकरण संख्या 171 दिनांक 21.06.1960 को वादी द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई।

— भार प्रतिवादी न0 1 लगायत 5

6. आया वादमें वादी का कोई हक अधिकार विवादित आराजी में नहीं होने से वह किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है।

— भार प्रतिवादी न0 1 लगायत 5

6ए. आया वाद अन्दर मियाद है।

— भार वादी

तनकीवार निर्णय :–

निर्णय तनकी संख्या 6 ए :–

चूंकि तनकी संख्या 6 ए दावे के अन्दर मियाद होने से संबधित है अतः सर्वप्रथम तनकी संख्या 6 ए का निर्णय किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसूची के अनुसार उद्घोषणा के दावा की कोई मियाद अवधी नहीं होती है। बेदखली के दावे की मियाद अवधी 12 वर्ष निर्धारित है। यह न्यायालय मियाद के बिंदु पर दावे को अस्वीकार करना न्यायोचित नहीं मानता अपितु गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना न्याय संगत समझता है।

अतः तनकी संख्या 6 ए वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी संख्या 1 :–

विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 915 के हाल खसरा नम्बर 3430 रकबा 1.63 है0, खसरा नम्बर 3431 रकबा 1.41 है0 का नामान्तकरण स्नेही पुत्र जीवन खटीक के पक्ष में दिनांक 21.06.1960 को जलसे आम में गीगा पुत्र महमदा की सहमति से स्वीकार किया जाना Ex. D1 से जाहिर है। प्रतिवादीगण द्वारा रजिस्टर्ड बंधक पत्र दिनांक 22.02.1954 तथा बेचान लिखावट 03.12.1955 भी पेश की गई है जिसको वादीगण द्वारा न कभी सक्षम सिविल न्यायालय से खारिज कराया गया है तथा ना ही चुनौती दी गई है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से जाहिर है कि जमाबंदी सम्वत 2012–15 तथा 2016–19 में स्नेही पुत्र जीवन खटीक के पक्ष में नामांतकरण संबधी नोट दर्ज है। इसके उपरान्त की सभी जमाबंदीयों में स्नेही पुत्र जीवन खटीक तथा उसके वारिसान का नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी 2013–16 तथा 2017–20 के अवलोकन से प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होना जाहिर है। वादीगण द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं जो उन्हे विवादित भूमि के खातेदार सिद्ध करे। जिरह वादीगण साक्ष्य PW1, PW2,PW3 के अवलोकन से जाहिर है कि वे साक्ष्य में कहे गये कथनों को साबित नहीं कर पाये। अतः वादीगण प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादग्रस्त आराजी के खातेदार साबित नहीं होते हैं, बल्कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वादग्रस्त आराजी के खातेदार साबित होते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

निर्णय तनकी संख्या 2 :–

दिनांक 20.06.2018 को तनकी संख्या 2 इस प्रकार से कायम की गई थी "आया वाद भूमि पर वादी कदीमी कब्जा काश्त होकर काबिज है।" दिनांक 17.06.2022 को अधिवक्ता उभय पक्षकारान की सहमति से तनकी संख्या 2 संशोधित की गई। इस न्यायालय के मतानुसार संशोधित तनकी संख्या 2 के निर्णय हेतु पृथक से साक्ष्य लिये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संशोधित तनकी संख्या 2 का निर्णय तनकी संख्या 1 के निर्णय पर निर्भर करता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के तहत अतिचारी, जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा कर लेता है या उसे बनाये रखता है, को बेदखल किये जाने का प्रावधान है। चूंकि निर्णय तनकी संख्या 1 के अनुसार वादीगण स्वंय को खातेदार घोषित करा पाने में असफल रहे हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त खातेदार होने की हैसियत से विधिपूर्ण प्राधिकार के साथ है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 अतिचारी साबित नहीं होते हैं तथा वादग्रस्त जमीन से बेदखली के दायी नहीं है।

अतः तनकी संख्या 02 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी संख्या 3 :–

चूंकि तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है, अतः तनकी संख्या 3 स्वतः ही वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी संख्या 4 :–

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों रजिस्टर्ड बंधक पत्र दिनांक 22.02.1954, बेचान लिखावट 3.12.1955, नामान्तकरण संख्या 171 दिनांक 21.06.1960, जमाबंदी सम्वत 2012–15, 2016–19 तथा उसके पश्चात का जमाबंदी रिकार्ड, खसरा गिरदावरी सम्वत 2013–16, 2017–20 के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वज गीगा पुत्र महमदा द्वारा विवादित भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज स्नेही पुत्र जीवन खटीक के पक्ष में हस्तांतरित कर दी गई थी। वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त नहीं है, यह वादी स्वंय स्वीकार कर रहे है जिसकी पुष्टि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की मद संख्या 18 (ख) से होती है।

अतः तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी संख्या 5 :–

विवादित भूमि बावत नामान्तकरण संख्या 171 दिनांक 21.06.1960 को वादी द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अतः तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी संख्या 6 :–

चूंकि तनकी संख्या 1, 2,3 वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है तथा तनकी संख्या 4 व 5 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगातय 5 के पक्ष में निर्णित की गई हैं अतः तनकी संख्या 6 स्वतः ही प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पक्ष में साबित होती है।

अतः तनकी संख्या 6 प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी

निर्णय

तनकी संख्या 1, 2, 3 वादीगण के विरूद्ध निर्णित होने तथा तनकी संख्या 4, 5, 6 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के पक्ष में निर्णित होने के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता है। न्यायालय उपखंड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा संख्या 121/2010 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2016 के पश्चात के समस्त राजस्व रिकार्ड इन्द्राजात जो इस निर्णय से असंगत है, उन्हे विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किया जाता है तहसीलदार झुन्झुनू निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
झुन्झुनू (राज.)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

न्यायालय उपखंड अधिकारी,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः–शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :– **195/2017 (नया)**
121/2010 (पुराना)

उनवान

मृतक रसीद वगै0 बनाम मृतक तुलसीदास वगै0

दावा बाबतः– **घोषणा, बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा**

दिनांकः– 24.06.2022

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कायम सिंह, प्रतिवादीगण की ओर से श्री विजयपाल उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 24.06.2022 को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर डिक्री की जाती है कि तनकी संख्या 1, 2, 3 वादीगण के विरूद्ध निर्णित होने तथा तनकी संख्या 4, 5, 6 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के पक्ष में निर्णित होने के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता है। न्यायालय उपखंड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा संख्या 121/2010 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2016 के पश्चात के समस्त राजस्व रिकार्ड इन्द्राजात जो इस निर्णय से असंगत है, उन्हे विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किया जाता है तहसीलदार झुन्झुनू निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	6	स्टाम्प वकालतनामा	26
स्टाम्प वकालतनामा	46	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनाम	
बावत इजराय हुक्मनाम		मुतफरिक	
योग	52		26

उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)